रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102020-222840
CG-DL-E-30102020-222840

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड(ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3440] **नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 29, 2020/कार्तिक 7, 1942**
No. 3440] **NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2020/KARTIKA 7, 1942**

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
(दिल्ली प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3904 (अ).— जबकि दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान में कतिपय संशोधन करने के लिए अपने समीक्षा कार्य के रूप में केंद्र सरकार ने प्रस्ताव किया था, जिन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 11-क की उप-धारा (3) की अपेक्षानुसार कथित नोटिस की तिथि से पैंतालीस दिन के भीतर आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में सार्वजनिक सूचना दिनांक 06.10.2017 के का.आ.सं0 3249 (अ) के रूप में प्रकाशित किया गया था ।

2. जबकि, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित जांच और सुनवाई बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया है और दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में भी अनुमोदित किया गया है ।

3. जबकि, केंद्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान में संशोधन करने का निर्णय लिया है ।

4. इसलिए, अब, केंद्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप धारा (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दिल्ली-2021 के मास्टर प्लान में निम्नलिखित संशोधन करती है ।

संशोधन:

<table>
<tr><td rowspan="3">क्र. सं.</td><td colspan="2">एमपीडी 2021</td></tr>
<tr><td colspan="2">अध्याय-7.0 उद्योग</td></tr>
<tr><td>एमपीडी 2021 में वर्तमान प्रावधान</td><td>प्रस्तावित संशोधन</td></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">तालिका 7.1 श्रेणी के तहत विभिन्न उपयोग ज़ोनों और उपयोग परिसरों में औद्योगिक इकाइयों हेतु मापदंड</td></tr>
<tr><td></td><td>औद्योगिक उपयोग
<table><tr><td rowspan="2">उपयोग ज़ोन/उपयोग परिसर</td><td>शर्तें</td></tr><tr><td>कर्मचारियों की अधिकतम संख्या</td></tr><tr><td>क) प्लॉटिड विकास</td><td>आवश्यकतानुसार</td></tr><tr><td>ख) फ्लैटेड उद्योग</td><td>~~20~~</td></tr></table></td><td>औद्योगिक उपयोग
<table><tr><td rowspan="2">उपयोग ज़ोन/उपयोग परिसर</td><td>शर्तें</td></tr><tr><td>कर्मचारियों की अधिकतम संख्या</td></tr><tr><td>क) प्लॉटिड विकास</td><td>आवश्यकतानुसार</td></tr><tr><td>ख) फ्लैटेड उद्योग</td><td>आवश्यकतानुसार</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">7.6.2.1 : नॉन-कॉनफॉरमिंग क्षेत्रों में औद्यौगिक केंद्रीकरण के समूहों के पुनर्विकास के लिए मानदंड</td></tr>
<tr><td></td><td>क) लगभग 10% क्षेत्र आरक्षित किया जाना है...
ख) लगभग 10% अर्ध-पारगम्य सतह...
ग) कुल क्षेत्रफल का लगभग 10% आरक्षित किया जाना है…
घ) की तैयारी: …
ड.) क्लस्टर क्षेत्र का 8%…
च) अधिक माप वाले प्लॉट…
छ) कम माप वाले प्लॉट…
ज) प्रदान की जाने वाली सामान्य पार्किंग..</td><td>ज) के पश्चात् बिंदु झ) और ञ) निम्नानुसार जोड़े जाने हैं:
झ) वैकल्पिक रूप से, सोसायटी एमपीडी 2021 की तालिका 7.2 में निर्धारित भूमि वितरण के आधार पर लेआउट प्लान/पुनर्विकास योजना तैयार करने के विकल्प को अपना सकती है।
ञ) वाणिज्यिक उपयोग के तहत लगभग 3% क्षेत्र की अनुमति दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">7.7 नए औद्योगिक क्षेत्र</td></tr>
<tr><td></td><td>एनसीटी दिल्ली में नए औद्योगिक कार्य को नीचे दिए गए उच्च तकनीकी क्षेत्रों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए:
~~i. कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उद्योग और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सिस्टम एकीकरण करने वाले उद्योग।~~
~~ii. पैकेजिंग~~
~~iii. कंप्यूटर और टेलीकॉम सुविधाओं के इंटरफेस को एकीकृत करने और जोड़ने वाले उद्योग।~~
~~iv. दुनिया भर में फैले डेटाबेस या डेटाबेस तक पहुँच प्रदान करके उपयोग की जानकारी की पूर्ति करने वाले उद्योग।~~
~~v. सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न या सभी घटकों के अत्याधुनिक परीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने वाले उद्योग।~~
~~vi. इलेक्ट्रॉनिक सामान~~</td><td>एनसीटी दिल्ली में नई औद्योगिक गतिविधि को उच्च तकनीकी क्षेत्रों और सेवा आधारित उद्योगों तक सीमित रखा जाना चाहिए। ये गतिविधियां विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों में अनुमन्य होंगी जो संबंधित प्राधिकरण/स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित और वसूले जाने वाले निर्धारित और वसूले जाने वाले आधारभूत संरचना उन्नयन शुल्क के भुगतान के अधीन हैं, जो इस प्रकार है:
. 1. सॉफ्टवेयर उद्योग
क. कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उद्योग और कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके सिस्टम एकीकरण करने वाले उद्योग।
ख. कंप्यूटर और टेलीकॉम सुविधाओं के इंटरफेस को एकीकृत और जोड़ने वाले उद्योग।
ग. सॉफ्टवेयर उत्पाद और मोबाइल अनुप्रयोग
2. सूचना प्रौद्योगिकी सेवा उद्योग
क. इंटरनेट और ईमेल सेवा प्रदाता</td></tr>
</table>

	~~vii. टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं संबंधी सेवाएं और मरम्मत।~~ ~~viii. फोटो रचना और डेस्कटॉप प्रकाशन~~ ~~ix. टीवी और वीडियो कार्यक्रम निर्माण~~ ~~x. कपड़ा डिजाइनिंग और कपड़े का परीक्षण आदि।~~ ~~xi. बायोटेक्नोलॉजी~~ ~~xii. दूरसंचार और सक्षम सेवाएं~~ ~~xiii. रत्न और आभूषण~~	ख. वर्ल्ड वाइड वेब सेवा प्रदाता ई-कॉमर्स और कंटेंट डेवलपमेंट ग. इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) सेवाएँ घ. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीसैट, आईएसडीएन सेवाएं ड. इलेक्ट्रॉनिक डाटा केंद्र की गतिविधियां **3. आईटीईएस उद्योग** क. ग्राहक संपर्क सेवाएं, जैसे, कॉल / संपर्क केंद्र और ईमेल सहायता डेस्क ख. बैक ऑफिस प्रोसेसिंग ग. वित्त और लेखा (दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्ध) घ. बीमा दावा प्रोसेसिंग (दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्ध) ड. मानव संसाधन सेवाएं और अन्य परामर्श (दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्ध) च. वेब साइट विकास और अनुरक्षण सेवाएं छ. दूरस्थ शिक्षा ज. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग झ. सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन विकास ञ. इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और उत्पाद विकास ट. इंजीनियरिंग डिजाइन और उत्पाद विकास ठ. दुनिया भर में फैले डेटाबेस या डेटाबेस तक पहुँच प्रदान करके उपयोग की जानकारी की पूर्ति करने वाले उद्योग। ड. सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न या सभी घटकों के अत्याधुनिक परीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करने वाले उद्योग। ढ. दूरसंचार और सक्षम सेवाएं **4. मीडिया** क. टीवी और वीडियो कार्यक्रम निर्माण ख. फोटो रचना और डेस्कटॉप प्रकाशन ग. प्रकाशन घ. ऑडियोविज़ुअल सेवाएं **5. बायोटेक्नोलॉजी/मेडिकल** क. शोध एवं विकास और उत्पादों या प्रक्रियाओं का निर्माण, जो विशिष्ट जीवित प्रणालियों (पौधों, जानवरों और रोगाणुओं या उसके कुछ हिस्सों) का उपयोग करके प्राप्त होते हैं या उनसे प्राप्त एंजाइम/जैव-रासायनिक तत्व होते हैं। ख. जेनेटिक इंजीनियरिंग और संविदा अनुसंधान और क्लीनिकल परीक्षण ग. मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन सेवाएं

6. शोध एवं विकास और डिज़ाइन

क. इलेक्ट्रॉनिक्स शोध एवं विकास-डिजाइन और उत्पाद विकास

ख. इंजीनियरिंग शोध एवं विकास-डिजाइन और उत्पाद विकास

ग. बायोटेक्नोलॉजी शोध एवं विकास

घ. डिजाइन कपड़ा उद्योग, रत्न और आभूषण, वेब डिजाइन आदि

ड०. कपड़ा डिजाइनिंग और कपड़े का परीक्षण आदि

च. अंतर-विधा शोध एवं विकास सेवाएं

7. व्यवसाय संबंधी सेवाएं (दूरस्थ क्षेत्रों में उपलब्ध) *

क. कानूनी सेवाएं

ख. वित्तीय, लेखा, लेखा परीक्षा, बुक कीपिंग और कराधान सेवाएं

ग. वास्तुकला और इंजीनियरिंग सेवाएं

घ. विज्ञापन एजेंसी और प्रशिक्षण सेवाएँ

ड. बाजार शोध और सार्वजनिक मत सेवाएं

च. प्लेसमेंट, प्रबंधन, उच्च शिक्षा और परामर्श सेवाएं

छ. इक्विटी शोध

8. शैक्षणिक सेवाएं*

क. व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीआई/पॉलिटेक्निक/ व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान एआईसीटीई/एनसीटीई के लिए अनुमोदित पाठ्यक्रम एआईसीटीई/एनसीटीई मानदंडों के अनुसार।

(उपरोक्त शैक्षणिक गतिविधियों को स्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के स्तर तक अधिकतम अनुमति दी जाएगी।)

9. अन्य*

क. पैकेजिंग

ख. इलेक्ट्रॉनिक सामान, विद्युत (इलेक्ट्रिकल) वितरण सेवाएं

ग. टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की सेवा और मरम्मत

टिप्पणी:

1. * मार्ग या सड़क की न्यूनतम गली जिस पर क्रमांक 7 से 9 में उल्लिखित गतिविधियां अनुमन्य हैं:

i. 1000 वर्गमीटर से अधिक के प्लॉट- 12 मी. की गली

ii. 1000 वर्गमीटर से अधिक के प्लॉट- 18 मी. की गली

2. यदि केंद्र सरकार द्वारा समुचित और सार्वजनिक हित में माना जाता है तो, जीएनसीटीडी के उद्योग विभाग के परामर्श से डीएसआईआईडीसी द्वारा अग्रेषित की गई उपर्युक्त सूची में परिवर्धन/परिवर्तन के लिए किसी भी सिफारिश को शामिल किया जाएगा।

		3. चिन्हित समूहों के अतिरिक्त अन्य 10% सीमा में प्लॉट के भीतर भंडारण को संबंधित प्लॉट (कच्ची सामग्री, तैयार उत्पाद, आदि, भंडारण) में औद्योगिक गतिविधि से अतिरिक्त होने वाले आकस्मिक भंडारण के रूप में प्रदान किया जाना है।
4.	**तालिका 7.3: विकास नियंत्रण मानदंड**	

उपयोग परिसर	अधिकतम		
	भूमि कवरेज (%)	एफएआर #	ऊंचाई (मी.)
औद्योगिक प्लॉट			
i. 50 वर्गमीटर और उससे कम	100	200	8
ii. 51 वर्गमीटर से 400 वर्गमीटर	60	180	15
iii. 401 वर्गमीटर और उससे अधिक	50	150	15

फ्लैटेड ग्रुप उद्योग (न्यूनतम प्लॉट आकार – 400 वर्गमीटर)	30	150	26

उपयोग परिसर	अधिकतम		
	भूमि कवरेज (%)	एफएआर #	उँचाई (मी0) (%)
औद्योगिक प्लॉट			
i. **50 वर्गमीटर तक**	100	200	8
ii. **50 वर्गमीटर से अधिक और 400 वर्गमीटर तक**	60	*200*	15
iii. **क. 400 वर्गमीटर से अधिकर और 2,000 वर्गमीटर तक**	*50*	*200*	अ.न*
ख. 2,000 वर्गमीटर से अधिक	*40*	*200*	अ.न*

i. फ्लैटेड ग्रुप उद्योग (न्यूनतम प्लॉट आकार – 400 वर्गमीटर और 2,000 वर्गमीटर तक)	30	**200**	26
ii. फ्लैटेड ग्रुप उद्योग (न्यूनतम प्लॉट आकार 2000 वर्गमीटर से अधिक और 20,000 वर्गमीटर तक)	*30*	*200*	अ.न*
iii. फ्लैटेड ग्रुप उद्योग (20,000 वर्गमीटर से अधिक)	*30*	*200*	अ.न*

टिप्पणी :

** एएआई/अग्निशमन विभाग और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन।*

		# अतिरिक्त एफएआर शुल्क सरकार द्वारा समय-समय पर तय किए गए निर्धारण के अनुसार देय होंगे।
5.	**तालिका 7.3 के तहत टिप्पणियां: विकास नियंत्रण मानदंड**	
	vii. 24 मीटर और उससे अधिक की सड़कों से लगे हुए औद्योगिक प्लॉट, परिवर्तन की शर्तो (क) एक प्लॉट पर समायोजित किए जाने वाले बिस्तरों की संख्या को 80 वर्गमीटर के फ़र्श प्रति बेड क्षेत्र की दर से बढ़ाया जाएगा। (ख) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित परिवर्तन शुल्क का भुगतान, के अधीन मौजूदा विकास नियंत्रण मानदंडों के भीतर अस्पतालों (100 बेड तक) में परिवर्तन के पात्र होंगे। ऐसे प्लॉटों में अस्पताल में अनुमेय गतिविधियों की (तालिका 13.20) की अनुमति दी जाएगी। तथापि, यह अननुरूप /नियमित औद्योगिक समूह पर अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त प्रावधान किसी भी तरीके से उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रभावित नहीं करेंगे।	vii. 24 मीटर और उससे अधिक की सड़कों से लगे हुए औद्योगिक प्लॉट, परिवर्तन की शर्तो (क) एक प्लॉट पर समायोजित किए जाने वाले बिस्तरों की संख्या को 80 वर्गमीटर के फ़र्श प्रति बेड क्षेत्र की दर से बढ़ाया जाएगा। (ख) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित परिवर्तन शुल्क का भुगतान, के अधीन मौजूदा विकास नियंत्रण मानदंडों के भीतर **अस्पतालों/तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र** में परिवर्तन के पात्र होंगे। ऐसे प्लॉटों में **अस्पताल/तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र** में अनुमेय गतिविधियों की (तालिका 13.20) की अनुमति दी जाएगी। तथापि, यह अननुरूप /नियमित औद्योगिक समूह पर अनुमति नहीं दी जाएगी। उपरोक्त प्रावधान किसी भी तरीके से उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रभावित नहीं करेंगे।
6.	xi. पृथक औद्योगिक प्लॉटों पर पुनर्विकास/पुनर्निर्माण की अनुमति देते समय संबंधित उपयोग परिसरों के विकास नियंत्रण मानदंडों अर्थात् भूमि कवरेज, एफएआर आदि का पालन किया जाएगा और ऊंचाई का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। **ऊंचाई एएआई/अग्निशमन विभाग की अपेक्षा के अनुसार होगी।** यदि पार्किंग की आवश्यकता या भवन के चारों ओर पर्याप्त खुली जगह उपलब्ध कराई गई हो, तो अनुमेय एफएआर प्राप्त करने के लिए मौजूदा भवन में अनुमेय श्रेणी के भीतर परिवर्तन, परिवर्धन या उपयोग के मामले में पहले से ही स्वीकृत भूमि कवरेज जारी रहेगा।	xi. पृथक औद्योगिक प्लॉटों पर पुनर्विकास/पुनर्निर्माण की अनुमति देते समय संबंधित उपयोग परिसरों के विकास नियंत्रण मानदंडों अर्थात् भूमि कवरेज, एफएआर आदि का पालन किया जाएगा और ऊंचाई का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। **अनुमत ऊंचाई एएआई, दिल्ली अग्निशमन सेवाओं और अन्य सांविधिक निकायों से मंजूरी के अधीन होगी।** यदि पार्किंग की आवश्यकता या भवन के चारों ओर पर्याप्त खुली जगह उपलब्ध कराई गई हो, तो अनुमेय एफएआर प्राप्त करने के लिए मौजूदा भवन में अनुमेय श्रेणी के भीतर परिवर्धन, परिवर्तन या उपयोग के मामले में पहले से ही स्वीकृत भूमि कवरेज जारी रहेगा।

[फा.सं. के-12011/5/2017-डीडी-1]

उपेन्द्र कुमार तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2020

S.O. 3904(E).—Whereas, certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi-2021 as part of its review exercise which were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice S.O. 3249 (E) dt. 06.10.2017 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within forty five days from the date of the said notice.

2. Whereas, objections / suggestions received with regard to the proposed modification have been considered by the Board of Enquiry and Hearing, set up by the Delhi Development Authority and also approved at the meeting of the Delhi Development Authority.

3. Whereas, the Central Government has, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

4. Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modifications in the said Master Plan for Delhi–2021 with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

Modifications:

<table>
<tr><th rowspan="3">S. No.</th><th colspan="2">MPD-2021</th></tr>
<tr><th colspan="2">CHAPTER-7.0 INDUSTRY</th></tr>
<tr><th>Existing Provision in MPD-2021</th><th>Proposed Amendments/Modifications</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="2">Table 7.1 Parameters for Industrial Units in Different Use Zones and Use Premises under category</td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td colspan="2">Industrial Use</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Use Zone / Use Premises</td><td>Conditions</td></tr>
<tr><td>Max. no. of workers</td></tr>
<tr><td>a) Plotted development</td><td>As per need</td></tr>
<tr><td>b) Flatted Industries</td><td><s>20</s></td></tr>
</table>
</td><td>
<table>
<tr><td colspan="2">Industrial Use</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Use Zone / Use Premises</td><td>Conditions</td></tr>
<tr><td>Max. no. of workers</td></tr>
<tr><td>a) Plotted development</td><td>As per need</td></tr>
<tr><td>b) Flatted Industries</td><td>As per need</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="2">7.6.2.1 Norms for Redevelopment of Clusters of Industrial Concentrations in Non – Conforming areas</td></tr>
<tr><td></td><td>a) About 10% area is to be reserved ...
b) About 10% of semi- permeable surface ...
c) About 10% of total area to be reserved …
d) Preparation of: …
e) 8% of the cluster area…
f) Plots measuring more …
g) Plots measuring less …
h) Common Parking to be provided ..</td><td>Point i) & j) to be added after h) as follows:
i) Alternatively, the society may adopt the option of preparation of layout plan / Redevelopment scheme based on the land distribution as stipulated in Table 7.2 of the MPD 2021.
j) About 3% area shall be permitted under commercial use.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td colspan="2">7.7 NEW INDUSTRIAL AREAS</td></tr>
<tr><td></td><td>New industrial activity in the NCT of Delhi should be restricted to hi-tech areas as given below:
<s>i. Computer hardware and software industry and industries doing system integration using computer hardware and software.</s>
<s>ii. Packaging</s>
<s>iii. Industries integrating and manipulating the interfaces of the computers and telecom facilities.</s>
<s>iv. Industries catering to the information needs of uses by providing databases or access to databases spread throughout the globe.</s>
<s>v. Industries providing the facilities for sophisticated testing of different or all components of the information technology.</s>
<s>vi. Electronic goods.</s>
<s>vii. Service and repair of TV and other electronic items.</s>
<s>viii. Photo composing and desktop</s></td><td>New industrial activity in the NCT of Delhi should be restricted to hi-tech areas and service based industries. These activities shall be permissible in existing industrial areas subject to the payment of infrastructure upgradation charges to be decided and re-covered by concerned Authority/ local body as given below:
1. Software Industry
a. Computer hardware and software industry and industries doing system integration using computer hardware and software.
b. Industries integrating and manipulating the interfaces of the computers and telecom facilities.
c. Software products and Mobile Applications
2. IT Service Industry
a. Internet & Email Services Provider
b. World wide Web Services Provider E-</td></tr>
</table>

	~~publication.~~ ~~ix. TV and video programme production.~~ ~~x. Textile designing and fabric testing, etc.~~ ~~xi. Biotechnology.~~ ~~xii. Telecommunications and enabling services.~~ ~~xiii. Gems and jewellery.~~	commerce & content development. c. Electronic Data Interchange (EDI) Services d. Video conferencing, V SAT, ISDN services e. Electronic Data Centre activities **3. ITES Industry** a. Customer interaction services, e.g, call/ contact centres and email help desks b. Back office processing c. Finance and accounting (provided remotely) d. Insurance claims processing (provided remotely) e. HR services & Other Consulting (provided remotely) f. Web site development and maintenance services g. Remote education g. Business Process Outsourcing, Knowledge Process Outsourcing h. Software Extension development i. Electronic Design & Product Development j. Engineering Design & Product Development k. Industries catering to the information needs of uses by providing databases or access to databases spread throughout the globe. l. Industries providing the facilities for sophisticated testing of different or all components of the information technology. m. Telecommunications and enabling services. **4. Media** a. TV and video programme production. b. Photo composing and desktop publication. c. Publishing d. Audiovisual services **5. Biotechnology/ Medical** a. R&D and manufacture of products or processes, which use or are derived by using specific living systems (plants, animals and microbes or parts thereof) and or enzymes/ biocatalysts derived there from b. Genetic Engineering & Contract Research & Clinical Trials c. Medical Transcription Services **6. Research & Development and Design** a Electronics R&D-Design & Product Development b. Engineering R&D- Design & Product

		Development c. Biotechnology R&D d. Design Garments Industry, Gems & Jewellery, Web Design etc e. Textile designing and fabric testing, etc. f. Inter-Disciplinary R&D Services **7. Business Services (ProvidedRemotely)*** a. Legal Services b. Financial, Accounting, auditing, book keeping and Taxation services c. Architectural & Engineering Services d. Advertising Agency and Training Services e. Market Research and public opinion services f. Placement, Management, Higher Education and Consulting Services g. Equity Research **8. Educational Services*** a. Vocational Training Centre (ITI / Polytechnic / Vocational Training Institute / Management Institute / Teacher Training Institute for the AICTE / NCTE approved courses as per AICTE / NCTE Norms. (The above educational activities shall be allowed maximum upto the level of under graduate diploma courses.) **9. Others*** a. Packaging b. Electronic goods, Power (Electrical) Distribution services c. Service and repair of TV and other electronic items. **Note:** 1. * The minimum ROW of a street or stretch of road on which the activities mentioned in Sl. No. 7 to 9 are permissible is as follows: i. Plots upto 1000 sqm- 12 m ROW ii. Plots above 1000 sqm- 18 m ROW 2. Any recommendation for additions/ alterations to the above list forwarded by DSIIDC in consultation with Industries department of GNCTD shall be incorporated, if considered appropriate and in public interest by the Central Government. 3. Warehousing within the plot in 10% limit other than in identified clusters is to be provided as incidental storage accruing out of the industrial activity in the respective plot (raw material, finished products, etc., storage).

4. **Table 7.3: Development Control Norms**

Use Premises	Maximum		
	Gr.Cov (%)	**FAR #**	**Ht** (m)
Industrial Plot			
i. 50 sqm. and below	100	200	8
ii. 51 sqm to 400 sqm.	60	180	15
iii. 401 sqm and above	50	150	15

Flatted group Industry (Minimum plot size – 400 sqm.)	30	150	26

Use Premises	Maximum		
	Gr.Cov (%)	**FAR #**	**Ht** (m)
Industrial Plot			
i. **Upto 50 sqm.**	100	200	8
ii. **Above 50 sqm & upto 400 sqm**	60	***200***	15
iii. **a. Above 400 sqm &upto 2,000 sq.m**	***50***	***200***	***NR****
b. Above 2,000 sqm	***40***	***200***	***NR****

i. Flatted group Industry (Minimum plot size – 400 sqm & ***upto 2,000 sqm***.)	30	**200**	26
ii. Flatted group Industry (Minimum plot size above 2000 sqm & upto 20,000 sqm)	***30***	***200***	***NR****
iii. Flatted group Industry(above20,000 sq.m)	***30***	***200***	***NR****

Note:

**** Subject to clearance from AAI / Fire Department and other statutory bodies.***

 # The additional FAR charges shall be payable as decided by the Government from time to time.

5. **Notes under Table 7.3: Development Control Norms**

vii. Industrial plots abutting roads of 24m ROW and above shall be eligible for conversion to **Hospitals (up to 100 beds)** within the existing development control norms, subject to the conditions (a) the number of beds to be accommodated on a plot shall be worked out @ 80 sqm of gross floor area per bed and (b) payment of conversion charges as prescribed by the government from time to time. The activities permissible in **Hospital** (Table 13.20) shall be permitted in such plots. However, this shall not be

vii. Industrial plots abutting roads of 24m ROW and above shall be eligible for conversion to **Hospital / Tertiary Health Care Centre** within the existing development control norms, subject to the conditions (a) the number of beds to be accommodated on a plot shall be worked out @ 80 sqm of gross floor area per bed and (b) payment of conversion charges as prescribed by the government from time to time. The activities permissible in **Hospital / Tertiary Health Care Centre** (Table 13.20) shall be permitted in such plots. However, this shall not be permitted on

	permitted on non-conforming / regularized industrial cluster. The above provision shall not affect the Supreme Court orders in any manner.	non-conforming / regularized industrial cluster. The above provision shall not affect the Supreme Court orders in any manner.
6.	xi. The development control norms i.e. Ground Coverage, FAR etc. of respective use premises while allowing redevelopment/ reconstruction on the individual industrial plots shall be adhered to and there shall be no height restriction. **The height shall be as per requirement of AAI/ Fire Department.** In case of addition, alteration or change of use within permissible category in existing building to achieve permissible FAR, already sanctioned ground coverage shall continue, if parking requirement or sufficient open space around building is made available.	xi. The development control norms i.e. Ground Coverage, FAR etc. of respective use premises while allowing redevelopment/ reconstruction on the individual industrial plots shall be adhered to and there shall be no height restriction. **The height permitted shall be subject to clearance from AAI, Delhi Fire Services and other statutory bodies.** In case of addition, alteration or change of use within permissible category in existing building to achieve permissible FAR, already sanctioned ground coverage shall continue, if parking requirement or sufficient open space around building is made available.

[F. No. K-12011/5/2017-DD-I]

UPENDRA KUMAR TIWARI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM